रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 515] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 3, 1977/अग्रहायण 12, 1899
No. 515] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3, 1977/AGRAHAYANA 12, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December 1977

S.O. 820(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Trombay in Maharashtra State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Nirmal Building, 7th Floor, Nariman Point, Bombay (PIN—400021).

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Uran Terminal to Trombay

State : Maharashtra District: Kulaba Taluka : Uran

Village	Survey No.	Hectare	AREA	
			Are	Centiare
NAGAON	128/1	0	08	04
	128/2	0	10	08
	129/1	0	08	04
	129/6	0	02	09
	129/7	0	01	08
	129/8	0	07	06
	126/2	0	32	00
	126/5	0	02	00
	126/6	0	01	04
	131/2 B	0	04	08
	131/4	0	02	08
	10/1 B	0	04	00
	10/5	0	04	00
	10/6	0	03	00
	12/1	0	08	09
	12/2	0	01	03
	13/5	0	06	00
	13/7	0	05	00
	13/6	0	05	00
	13/1	0	18	00
	10/4	0	07	02
	13/2	0	06	03
	15/4	0	07	02
	15/3	0	14	00
	15/1 A	0	12	08
	16/1	0	06	04
	16/2	0	01	05
	16/7	0	07	03
	16/4	0	18	00
	16/5	0	05	00
	16/8	0	03	08
	120/A 2	0	25	02
	120/A 3	0	09	00
	118/A	0	04	00
	131/1 A	0	05	00

[No. 12020/7/77-Prod-III]

C. R. VAIDYANATHAN, Jt. Secy.

पेट्रोलियम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 3, दिसम्बर, 1977

का० आ० 820(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य मे यूरान टर्मिनल से ट्राम्बे तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप-लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहियें ;

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबंद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अत. अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्मल बिल्डिंग, 7वा तला, नरीमन प्वाइंट, बम्बई (पिन सं०-400021) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदीष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

उरण टर्मिनल से ट्राबे तक पाईप लाईन बिछाने के लिये

राज्य : महाराष्ट्र जिला . कुलाबा तालुका : उरण

गाव	सर्वेक्षण नं	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टेयर
1	2	3	4	5
नागाव . .	128/1	0	08	04
	128/2	0	10	08
	129/1	0	08	04
	129/6	0	02	09
	129/7	0	01	08
	129/8	0	07	06
	126/2	0	32	00
	126/5	0	02	00
	126/6	0	01	04
	131/2B	0	04	08

1	2	3	4	5
	131/4	0	02	08
	10/1 B	0	04	00
	10/5	0	04	00
	10/6	0	03	00
	12/1	0	08	09
	12/2	0	01	03
	13/5	0	06	00
	13/7	0	05	00
	13/6	0	05	00
	13/1	0	18	00
	10/4	0	07	02
	13/2	0	06	03
	15/4	0	07	02
	15/3	0	14	00
	15/1A	0	12	08
	16/1	0	06	04
	16/2	0	01	05
	16/7	0	07	03
	16/4	0	18	00
	16/5	0	05	00
	16/8	0	03	08
	120/A 2	0	25	02
	120/A 3	0	09	00
	118/A	0	04	00
	131/1A	0	05	00

[सं० 12020/7/77-प्रोडक्शन-III]

सी० आर० वैद्यनाथन, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977